कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, शाहबाद

RIDFVC योजना के तहत ढिकोनिया से तलावड़ा तक सड़क निर्माण हेतु 7.50 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैब पोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/6999/2014 को इस खण्ड के द्वारा प्रस्ताव को रजिस्टर किया गया था। जिसे आपके द्वारा प्रस्ताव मे आक्षेप लगाकर लौटा दिया गया था। उक्त प्रस्ताव की कमियो को निम्नानुसार दुरस्त कराकर उन्हे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।–

1. इस विभाग के द्वारा पुर्व मे जिन परियोजनाओ का वनभुमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया था उनका हवाला प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. A-2(xiii) एवं B-1(i) में "Yes" अंकित कर दुरस्त कर दिया गया है, बिन्दु सं. A-3(xvii) पर मुख्य अभि. सार्वजनिक विभाग के पत्र क्रमांक कैम्प–झालावाड़ दिनांक 4.9.2014 की प्रति को अपलोड किया गया है चुंकि उक्त सभी 25 परियोजनाएँ इसी खण्ड से सम्बन्धित है एवं अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद के कार्य क्षेत्र मे ही स्थित है। अतः श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. जयपुर के द्वारा उक्त पत्र के जरिये अधिकृत कर दिया गया था। बिन्दु संख्या A-2(xiii) एवं B-1(i) मे सम्पुर्ण विवरण दे दिया गया है।

2. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. B-2 में दी गई सारिणियों में वन भुमि एवं गैर वन भूमि में परियोजना की क्रियान्विति से संबंधित समस्त सूचनाओं का विवरण सारणी मे दर्शा दिया गया है।

3. बिन्दु सं. B-2.3 में दी गई सारिणी में प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु ग्राम वार प्रभावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि के विवरण सारणी मे उचित रूप से दर्शा दिया गया है।

4. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. C-ii(b) के क्रम मे अपलोड की गई kml फाईल मे सम्पूर्ण परियोजना के तहत निर्मित की जाने वाली सड़क के मार्ग का एलान्मेन्ट एवं वांछित वन क्षेत्र एवं उसके आस–पास की वन भूमि/सीमा को स्पष्टतः दर्शा दिया गया है। परियोजना का आरम्भ एवं खत्म होने का स्थान भी kml फाईल मे स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है। सड़क का एलाइन्मेन्ट एवं अन्य परियोजना का एलाइन्टमेट एवं प्रभावित वन क्षैत्र की सीमा को भी kml फाईल मे भली भांति दर्शा दिया गया है।

5. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. C-(iv) के क्रम मे अक्षाशं एवं देशातंर को दर्शाता हुआ भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र जिसको Total Station से तैयार किया गया है। तथा जिसमें प्रस्तावित सड़क के सम्पूर्ण मार्ग को वन भूमि/सीमा सहित मय पूर्ण संकेतक मार्क कर दिया गया है, को विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर अपलोड़ कर दिया गया है।

6. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. K-(i) में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सम्पूर्ण प्रक्रिया के सम्पन्न किये जाने के क्रम में "Yes" अंकित कर दिया गया है इस क्रम में भारत सरकार के परिपत्र 11–9/1998–एफ.सी. (Pt) दिनाकं 3.8.09 एव दिनांक 5.7.2013 द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) 2006 के तहत जिला कलक्टरों द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्रों एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड कर दिया गया है।

7. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. L-(iv)(b) मे वन विभाग को उक्त परियोजना हेतु दी जाने वाली भूमि जिसे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल के रूप में चयनित किया गया है, सम्बन्धी सभी दस्तावेज (जी.पी.एस. कोडीनेट सहित) एवं समस्त मानचित्र उचित रूप से अपलोड कर दिये गये हैं , जिसके अन्दर परियोजना के लिए दी जाने वाली जमीन को भी अलग से दर्शाया गया है।

8. बिन्दु सं. L-(v) पर चाहे गये दस्तावेज को तकनीकी रूप से दुरस्त कर अपलोड कर दिया गया है।

9. बिन्दु सं. L-(vi) पर सम्भवतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के क्रम में चयनित गैर वन भूमि के संबंध में जी.टी. शीट को स्पष्ट संकेतक अपलोड किया गया है।

10. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा चाही गयी शर्तानुसार इस विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, नैट प्रैजेन्ट वैल्यु एवं अधिरोपित शर्तानुसार अन्य राशियां को भी जमा कराया जाना है। इस क्रम में चाहे गये शपथ पत्र (Undertakings) को विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कर अपलोड करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां, प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट, वन क्षेत्र में सड़क निर्माण की लम्बाई व चौडाई का खसरा–वार पूर्ण विवरण, वांछित न्यूनतम वन भूमि की आवश्यकता का प्रमाण पत्र, बार चार्ट जिसमे ं परियोजना से प्रभावित वन भूमि एव गैर वन भूमि को अलग–अलग रंगों में मय संकेतक दर्शाया गया है एवं परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियां जो वन भूमि प्रत्यावर्तन मे ं सहायक है को भी अपलोड कर दिया गया है।

अधिषाशी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड शाहबाद